रम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

सुरेश सिंह पिता स्व0 इन्द्र राम, निवास स्थान मटवारी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग हाल मोकाम जबरा रोड, कोर्रा, पोस्ट-कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं0-154, खाता संख्या-14, प्लॉट संख्या-702, रकवा 0.0450 एकड़ (4.50 डिसमिल) (चार दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) देवन्ती देवी पति राजेन्द्र पासवान, निवास स्थान ग्राम-गोरहर, पोस्ट एवं थाना-गोरहर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-40/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 198/रा0 दिनांक 18.01.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 657 दिनांक 10.04.2023 से जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत गनी दर्ज हैं। केवाला के अनुसार कुल खरीदगी भूमि 4.25 एकड़ है। रकवा 1.3768 एकड़ भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-164/I पर वीणा देवी वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। आवेदक की माँ वगै0 जमाबंदी रैयत है। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 1.3318 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सुरेश सिंह पिता स्व0 इन्द्र राम, निवास स्थान मटवारी, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग हाल मोकाम जबरा रोड, कोर्रा, पोस्ट-कोर्रा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अब्लर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-जबरा, थाना नं0-154, खाता संख्या-14, प्लॉट संख्या-702, रकबा 0.0450 एकड़ (4.50 डिसमिल) (चार दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) देवन्ती देवी पति राजेन्द्र पासवान, निवास स्थान ग्राम-गोरहर, पोस्ट एवं थाना-गोरहर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.04.24 12:58:25 +05:30
Location: 192.168.0.108